

न्यायालय:—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 32 / 2014
संस्थित दिनांक—07 / 3 / 2012
फाइलिंग नं—230303001082012

बेबी शर्मा पत्नी रामलखन, पुत्री रामप्रकाश शर्मा,
आयु 35 साल निवासी ग्राम तिलौरी पोस्ट मालनपुर,
परगना गोहद -----आवेदक

वि रू द्ध

- 1— सिरनाम सिंह पुत्र हरीशंकर 41 साल,
ग्राम महेवा थाना पावई जिला भिण्ड चालक
- 2— जितेन्द्र कुमार दुबे पुत्र राजबहादुर दुबे,
आयु 33 साल, निवासी वाटर वर्क्स भिण्डमालिक
- 3— न्यू इंडिया इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
ब्रांच ऑफिस ग्वालियर रोड भिण्ड 477001
.....बीमा कंपनी

एवं

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 40 / 2014
संस्थित दिनांक—07 / 3 / 2012
फाइलिंग नं—230303001052012

रामकुमार शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा,
आयु 44 साल निवासी ग्राम तिलौरी पोस्ट मालनपुर,
परगना गोहद -----आवेदक

वि रू द्ध

- 1— सिरनाम सिंह पुत्र हरीशंकर 41 साल,
ग्राम महेवा थाना पावई जिला भिण्ड..... चालक
- 2— जितेन्द्र कुमार दुबे पुत्र राजबहादुर दुबे,
आयु 33 साल, निवासी वाटर वर्क्स भिण्डमालिक
- 3— न्यू इंडिया इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
ब्रांच ऑफिस ग्वालियर रोड भिण्ड 477001
.....बीमा कंपनी

आवेदक द्वारा श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता ।
 अनावेदक क्रमांक-1 व 2 एक पक्षीय ।
 अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री आर.के. वाजपेयी अधिवक्ता

—::— अधि-निर्णय —::—

(आज दिनांक 28/10/2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई शारीरिक, मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदक रामकुमार को कुल 6,15,000/-रुपये एवं आवेदिका बेबी शर्मा को कुल 5,80,114/-रुपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः मय 12 प्रतिशत मासिक ब्याज सहित मय खर्च के दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक क्रमांक-02 बताये गये दुर्घटनाकारी वाहन का पंजीकृत स्वामी है और उसका नियोजित चालक अनावेदक क्रमांक-1 दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारी वाहन का चालन कर रहा था एवं आवेदिका बेबी शर्मा एवं आवेदक रामकुमार आपस में सगे भाई बहिन हैं ।
3. क्लेम प्रकरण क्रमांक-32/2014 में आवेदिका बेबी शर्मा का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक- 12/11/2009 को शाम 6:40 बजे आवेदिका अपने भाई रामकुमार के साथ बस क्रमांक- एम.पी.-07 पी.-403 में बैठकर भिण्ड से मालनपुर जा रही थी, जैतपुरा गांव के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर ग्वालियर तरफ से डम्फर क्रमांक-एम.पी.-एच.-0253 का चालक सिरनाम अनावेदक क्र. 1 डम्फर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और बस में टक्कर सामने से मारी जिससे बस का सामने का हिस्सा पिचक गया, जिससे आवेदिका सहित अन्य लोगों को गंभीर चोटें आयी । आवेदिका श्रीमती बेबी का बाया पैर टूट गया ।
4. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गौहद चौराहा में लिखाई गई जो अपराध क्रमांक 193/09 पर दर्ज हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त दुर्घटनाकारी डम्फर का चालक सिरनाम एवं मालिक जितेन्द्र दुबे हैं। गंभीर चोटों के आधार पर धारा-279, 337, 338 भा0दं0सं0 का मामला दर्ज किया गया। दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदिका बेबी शर्मा का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद एवं जे.एच. अस्पताल ग्वालियर में चला। जहाँ उसका इलाज हुआ, जिसमें भर्ती रहने, दवाई और डाक्टर की फीस, प्लास्टर, देखरेख, खानपान में तथा आवागमन में

खर्च हुए तथा उनको स्थाई अपंगता आ गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदिका बेबी शर्मा को **कुल 5,80,114 / -रूपये** अनावेदकगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. अनावेदक क्रमांक— 1 व 2 सम्युक्त तामील उपरान्त उपस्थित हुए तथा दिनांक 06/9/12 को अनुपस्थित हो जाने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। उनकी ओर से आवेदकगण के अभिवचनों व दस्तावेजों का कोई खण्डन नहीं किया गया है।
6. अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचित किया गया कि आवेदकगण ने आयु सही नहीं दर्शायी है। आवेदिका ने अनावेदक क्रमांक—1 द्वारा टक्कर मारने वाली बात असत्य व बनावटी लिखायी है। आवेदिका ने सालाना आय गलत बनावटी लिखी है। आवेदिका द्वारा प्रतिकर की राशि बहुत बढा चढाकर लिखी है, उसके इलाज में दर्शाये गये रुपये नहीं खर्च हुए। आवेदिका ने कुल प्रतिकर बीमा कंपनी से रुपये हडपने के लिए लिख दिये हैं, वाहन चालक एवं वाहन मालिक के पास वैध एवं प्रभावहीन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी गयी इस कारण बीमा कंपनी उत्तदायी नहीं है। पक्षकारों द्वारा आपस में संधि कर ली है, अतः क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।
7. क्लेम प्रकरण क्रमांक—32/2014 में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1	क्या, दिनांक—12/11/09 को 18:40 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड जैतपुरा गांव के पास थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में अनावेदक क्र.—1 के द्वारा अनावेदक क्र.—2 के स्वामित्व की डम्पर क्र.—एम.पी.—30 एच.—0253 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आहत श्रीमती बेबी शर्मा को गंभीर उपहति कारित की ?	
2	क्या, उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के फलस्वरूप आवेदिका को स्थाई अपंगता कारित हुई ?	
3	क्या, घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव।	

4	क्या, आवेदिका क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हां तो किस अनावेदक से कितनी ?	
5	सहायता एवं व्यय ।	

8. क्लेम प्रकरण क्रमांक 40/2014 में आवेदक रामकुमार शर्मा का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—12/11/2009 को शाम 6:40 बजे आवेदक अपनी बहिन श्रीमती बेबी शर्मा के साथ बस क्रमांक— एम.पी.—07 पी.—403 में बैठकर भिण्ड से मालनपुर जा रहा था, जैतपुरा गांव के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर ग्वालियर तरफ से डम्पर क्रमांक—एम.पी.—एच.—0253 का चालक सिरनाम अनावेदक क्र.1 डम्पर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और बस में टक्कर सामने से मारी जिससे बस का सामने का हिस्सा पिचक गया, जिससे आवेदक सहित अन्य लोगों को गंभीर चोटें आयी । आवेदक रामकुमार के दाहिने हाथ, दांये पैर व छाती में चोटें आयी एवं घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गौहद चौराहा में लिखाई गई जो अपराध क्रमांक 193/09 पर दर्ज हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त दुर्घटनाकारी डम्पर का चालक सिरनाम एवं मालिक जितेन्द्र दुबे हैं। गंभीर चोटों के आधार पर धारा—279, 337, 338 भा0दं0सं0 का मामला दर्ज किया गया। दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदक रामकुमार का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद एवं जे.एच. अस्पताल ग्वालियर में चला। जहाँ उसका इलाज हुआ, जिसमें भर्ती रहने, दवाई और डाक्टर की फीस, प्लास्टर, देखरेख, खानपान में तथा आवागमन में खर्च हुए तथा उनको स्थाई अपंगता आ गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदिका बेबी शर्मा को **कुल 6,15,000/—रूपये** अनावेदकगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

9. अनावेदक क्रमांक— 1 व 2 सम्यक् तामील उपरान्त उपस्थित हुए तथा दिनांक 06/9/12 को अनुपस्थित हो जाने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। उनकी ओर से आवेदकगण के अभिवचनों व दस्तावेजों का कोई खण्डन नहीं किया गया है।

10. अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचित किया गया कि आवेदकगण ने आयु सही नहीं दर्शायी है । आवेदक ने अनावेदक क्रमांक—1 द्वारा टक्कर मारने वाली बात असत्य व बनावटी लिखायी है । आवेदिका ने सालाना आय गलत बनावटी लिखी है । आवेदक रामकुमार द्वारा प्रतिकर की राशि बहुत बढा चढाकर लिखी है, उसके इलाज में दर्शाये गये रूपये नहीं खर्च हुए । आवेदक ने कुल प्रतिकर बीमा

कंपनी से रुपये हड़पने के लिए लिख दिये हैं, वाहन चालक एवं वाहन मालिक के पास वैध एवं प्रभावहीन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी गयी इस कारण बीमा कंपनी उत्तदायी नहीं है। पक्षकारों द्वारा आपस में संधि कर ली है, अतः क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

11. क्लेम प्रकरण क्रमांक 40/2014 में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1 क्या, दिनांक-12/11/09 को 18:40 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड जैतपुरा गांव के पास थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में अनावेदक क्र.-1 के द्वारा अनावेदक क्र.-2 के स्वामित्व की डम्पर क्र.-एम.पी.-30 एच.-0253 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आहत आवेदक रामकुमार शर्मा को गंभीर उपहति कारित की ?	
2 क्या, उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के फलस्वरूप आवेदक रामकुमार शर्मा को स्थाई अपंगता कारित हुई ?	
3 क्या, घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव।	
4 क्या, आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हां तो किस अनावेदक से कितनी ?	
5 सहायता एवं व्यय।	

--- निष्कर्ष के आधार ---

नोट:- उपरोक्त दोनों प्रकरण आदेश पत्रिका दिनांक 16/4/13 द्वारा समेकित किये गये हैं इसलिये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

12. क्लेम प्रकरण क्रमांक-32/2014 में आवेदिका श्रीमती बेबी शर्मा की ओर से स्वयं श्रीमती बेबी शर्मा आ.सा.-1, रामकुमार आ.सा.

—2 के कथन कराये गये हैं तथा अनावेदक क्रमांक— 1 व 2 एक पक्षीय रहे हैं उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है एवं अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से खंडन में रवि प्रकाश माथुर अना.सा.—1 एवं गजेन्द्र सिंह चौहान अना.सा.—2 की साक्ष्य पेश की गई है ।

13. क्लेम प्रकरण क्रमांक—40/2014 में आवेदक रामकुमार शर्मा की ओर से स्वयं रामकुमार शर्मा आ.सा.—1, श्रीमती बेबी शर्मा आ.सा.—2 के कथन कराये गये हैं तथा अनावेदक क्रमांक— 1 व 2 एक पक्षीय रहे हैं उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है एवं अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से खंडन में रवि प्रकाश माथुर अना.सा.—1 एवं गजेन्द्र सिंह चौहान अना.सा.—2 की साक्ष्य पेश की गई है । दोनों प्रकरणों में आवेदकगण की ओर से सुधीर मुदगल का मुख्य परीक्षण का शपथपत्र पेश किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षा हेतु उसे पेश नहीं किया गया है इसलिये उसका मुख्य परीक्षण का शपथपत्र अग्राह्य किया जाता है ।

14. क्लेम प्रकरण क्रमांक—32/14 में आवेदिका श्रीमती बेबी शर्मा की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र0पी0—1 लगायत प्र0पी0—52 के दस्तावेज पेश किये गये हैं एवं अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से प्रदर्श डी.—1 व 2 के दस्तावेज पेश किए गये हैं ।

15. इसी प्रकार क्लेम प्रकरण क्रमांक—40/14 में आवेदक रामकुमार शर्मा की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र0पी0—1 लगायत प्र0पी0—52 के दस्तावेज पेश किये गये हैं एवं अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से प्रदर्श डी.—1 व 2 के दस्तावेज पेश किए गये हैं ।

—::— **वाद प्रश्न क0—1 —::—** दोनों क्लेम प्रकरणों का विचारणीय प्रश्न क0—1 का विश्लेषण व निराकरण—::—

16. इस संबंध में अभिलेख पर आवेदकगण की ओर से जो साक्ष्य दी गई है, उसमें से आवेदकगण के ही दोनों प्रकरणों में एक दूसरे का समर्थन करते हुये कथन दिये गये हैं । दोनों आवेदकगण ने अपने अभिसाक्ष्य में एक जैसे कथन करते हुये दिनांक 17-7-14 को दिये गये मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में यह बताया है कि वे बस क्रमांक एम0पी0—07—पी0—0403 से बैठकर भिण्ड से मालनपुर आ रहे थे तब ग्वालियर तरफ से जैतपुरा गांव के पास रोड पर डम्पर क्रमांक एम0पी0—30 एच 0253 का चालक सिरनामसिंह उसे बड़ी तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया था, और बस में सामने से टक्कर मार दी थी जिससे बस का सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, तथा बस चालक के अलावा उन्हें व अन्य सवारियों को चोंटे आई थी, उनके हाथ पैर छाती में चोटें आई थी, और बेबी शर्मा के बांये पैर में और रामकुमार के दांये पैर में अस्थिभंग भी हुआ था और गंभीर चोटें भी आई थी, उनका भाई

कमलकिशोर उन्हें इलाज के लिये ग्वालियर ले गया था । घटना की रिपोर्ट बस के चालक रामेश्वरसिंह ने दर्ज कराई थी । पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर डम्पर के चालक सरनामसिंह अनावेदक क्र०-1 को गिरफ्तार किया था, और उससे डम्पर की जप्ती की थी, जिसका स्वामी अनावेदक क्र०-2 है दोनों साक्षियों ने डम्पर का नंबर भाई कमलकिशोर के द्वारा बताया जाना कहा है ।

17. प्रकरण में आवेदकगण की और से प्र०पी०-1 लगायत प्र०पी०-8 के रूप में थाना गोहद चौराहा पर पंजीबद्ध हुये अपराध क्रमांक 193/09 धारा 279, 337, 338 भा०द०सं० के अभियोगपत्र, एफ०आई०आर०, नक्शामौका, अनावेदक क्र०-1 डम्पर के चालक के गिरफ्तारी उससे डम्पर और ड्राइविंग लाइसेंस की जप्ती, डम्पर की मैकेनिकल जांच, एम०एल०सी०व एक्सरे रिपोर्ट की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पेश की गई है । प्र०पी०-9 जे०ए०एच० ग्वालियर के डिस्चार्ज टिकिट पेश किये हैं । बेबी शर्मा का दुबारा हुये उपचार का डिस्चार्ज टिकिट प्र०पी०-10 भी प्रकरण नंबर 32/14 में पेश किया गया है ।

18. अनावेदक क्र०-3 की और से लिखित व मौखिक तर्कों में यह आपत्ति ली गई है कि कमलकिशोर का आवेदकगण ने कथन नहीं कराया है, जिसके द्वारा डम्पर का नंबर बताया गया है ही रिपोर्टकर्ता का कथन कराया है और गाडी के रजिस्ट्रेशन क्रमांक में अंतर है, इसलिये क्लेम याचिका निरस्त की जाये, जिसका आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में खण्डन करते हुये कहा है कि आवेदकगण ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति है, और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पहले वाहन क्रमांक की सही जानकारी लेते और फिर रिपोर्ट करते जब कि रिपोर्ट तत्काल हुई है, इसलिये आपत्ति वेबुनियाद है ।

19. अनावेदक क्र०-3 बीमाकंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने वाहन के रजिस्ट्रेशन क्रमांक की भिन्नता के संदर्भ में न्याय दृष्टांत कुन्धेरीराम उर्फ कुन्धेरी वि० कमलकिशोर एवं अन्य 2004 भाग-2 डी०एन०पी० पेज 160 (एम०पी०) पेश किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्लेम याचिका खारिजी की पुष्टि इस आधार पर की थी कि एफ०आई०आर० वाहन क्रमांक एम०के०एच० 7877 के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी, और संशोधन द्वारा वाहन क्रमांक एम०के०एच० 7879 किया गया था, और वाहन के रंग में भी भिन्नता जप्तीपत्र के आधार पर पाई गई थी । इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है केवल वाहन की सीरिज में एच के आगे ए अंकित हो गया है जिसे विलोपित किया गया है, इसलिये न्याय दृष्टांत को प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है तथा दुर्घटना घटित होने का अभिलेख पर खण्डन नहीं है, इसलिये कमलकिशोर नामक व्यक्ति या एफ०आई०आर० कर्ता बस चालक रामेश्वर का

कथन ना होने से भी कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

20. अभियोगपत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में डम्पर नंबर एम0पी0-30 एच0ए0-0253 अंकित किया गया है उसी की मैकेनिकल जांच भी जप्ती उपरांत पुलिस द्वारा कराई गई। अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें प्र0डी0-1 बीमा पॉलिसी, प्र0डी0-2 फिटनेस प्रमाणपत्र से संबंधित विवरणी, आर0टी0ओ0 भिण्ड की पेश करते हुये पुलिस द्वारा जप्त वाहन का फिटनेस ना होने की आपत्ति ली है, तथा बीमित वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम0पी0-30 एच-0253 बताया है। विचारण के दौरान दुर्घटनाकारी डम्पर के रजिस्ट्रेशन नंबर का अभिवचनों में आदेश पत्रिका दिनांक 20-2-14 अनुसार संशोधन करके दुरुस्त किया गया है, जिस आदेश को कोई चुनौती अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा नहीं दी गई है, और वाहन चालक व स्वामी अनावेदक क0-1 व 2 प्रकरण में एक पक्षीय होकर अनुपस्थित है, उनकी ओर से कोई खण्डन नहीं है जिस वाहन से दुर्घटना बताई गई है उसका इंजन नंबर और चैसिस नंबर में कोई अंतर नहीं है, और प्र0डी0-1 और प्र0डी0-2 में इंजन नंबर और चैसिस नंबर समान है, ऐसे में रिपोर्ट करते समय दुर्घटनाकारी डम्पर का क्रमांक में सीरिज में एक शब्द अतिरिक्त लिखा जाना आवेदकगण के उत्तरदायित्व में नहीं आता है और पुलिस त्रुटि के लिये आवेदकगण को उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता है, तथा बीमा कंपनी की ओर से दिये गये साक्ष्य में दुर्घटना का विरोध नहीं किया गया है।

21. ऐसे में उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 12/11/09 को शाम करीब 6-40 बजे भिण्ड ग्वालियर लोकमार्ग पर ग्राम जैतपुरा के पास थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रान्तर्गत डम्पर क्रमांक एम0पी0-30एच-0253 को अनावेदक क0-1 द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाते हुये दुर्घटना कारित की, जिसके फलस्वरूप बेबी शर्मा एवं उसके भाई रामकुमार शर्मा को साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई। फलतः वाद प्रश्न क0-1 आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत कर "प्रमाणित" ठहराया जाता है।

—:— **विचारणीय प्रश्न क0-2** दोनों क्लेम प्रकरणों का विचारणीय प्रश्न क0-2—:— का विश्लेषण व निराकरण

22. जहां तक आवेदकगण को दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप स्थाई निशक्ता का प्रश्न है। आवेदकगण ने अपने साक्ष्य में अस्थिभंजन होने के संबंध में तो साक्ष्य दी है तथा जो दस्तावेजी प्रमाणपत्र पेश किये हैं उसमें एम0एल0सी0 व एक्सरे रिपोर्ट मुताबिक बेबी शर्मा को बाईं टांग में टीविया नामक हड्डी में अस्थिभंजन पाया गया और रामकुमार को दाहिनी हाथ की हयूमरस नामक हड्डी में अस्थिभंजन पाया गया, किन्तु अभिलेख पर ऐसी

कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिससे आहतगण/आवेदकगण स्थाई रूप से निशक्त हुये हो इस संबंध में अनावेदक क्र0-3 की और से लिखित तर्कों में भी यह आपत्ति ली गई है कि स्थाई निशक्तता के संबंध में चिकित्सक का कोई कथन नहीं कराया गया ना ही विकलांगता का कोई प्रमाणपत्र है ।

23. ऐसे में अभिलेख पर जो सामग्री उपलब्ध है उससे दोनों आवेदकगण को अस्थिभंजन होकर घोर उपहति तो दुर्घटना में आना स्थापित होता है, किन्तु स्थाई निशक्तता दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आना प्रमाणित नहीं है । फलतः विचारणीय प्रश्न क्र0-2 आवेदकगण के विरुद्ध निर्णीत कर "अप्रमाणित" ठहराया जाता है ।

—::— विचारणीय प्रश्न क्र0-3 —::—

दोनों क्लेम प्रकरणों का विचारणीय प्रश्न क्र0-3 का विश्लेषण व निराकरण —::—

24. उक्त बिन्दु के प्रमाणभार अनावेदकगण पर है । अनावेदक क्र0-1 व 2 एक पक्षीय है उनकी और से कोई साक्ष्य नहीं है । अनावेदक क्र0-3 की और से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें बीमा कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी रविप्रकाश माथुर अनावेदक साक्षी क्र0-1 के रूप में पेश किया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वाहन क्रमांक एम0पी0-30 एच 0253 का उनकी कंपनी में बीमा दिनांक 1/7/09 से 30/6/10 के लिये जितेन्द्र कुमार के नाम से किया गया था । बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस, रूट परमिट और फिटनेस होना आवश्यक है, किन्तु घटना दिनांक को उक्त वाहन वैध एवं प्रभावी फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था जो प्रमाणपत्र पेश किया गया है वह आर0टी0ओ0 भिण्ड के कार्यालय से जारी नहीं है, और फर्जी है इसलिये बीमा कंपनी उत्तरदाई नहीं है, उन्होंने प्र0डी0-2 के रूप में फिटनेस पर्टीकूलर प्रमाणीकरण पेश करते हुये उक्त आशय की साक्ष्य दी है, और पैरा-4 में यह स्वीकार किया है कि प्र0डी0-1 की बीमापॉलिसी करने के पूर्व ड्राईविंग लाईसेंस, रूट परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र देखा जाता है उसका सत्यापन नहीं कराया जाता तथा प्र0डी0-2 का फिटनेस प्रमाणपत्र देखा गया था उसके बाद बीमा किया गया था सत्यापित कराये जाने पर वह फर्जी पाया गया, अर्थात् प्र0डी0-2 के फिटनेस प्रमाणपत्र को देखने के बाद ही प्र0डी0-1 का बीमा किया जाना उक्त साक्षी स्वीकार करता है, और जो फिटनेस प्रमाणपत्र जारी बताया गया है उसके फर्जी या कूटरचित होने के संबंध में ना तो आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड ने कोई कार्यवाही की है, और ना ही अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी ने इस प्रकरण में साक्ष्य देने के अलावा प्रथक से कोई कार्यवाही की है, तथा अनावेदक साक्षी क्र0-2 की साक्ष्य निश्चतता लिये हुये भी नहीं है, इसलिये उसे आधार नहीं बनाया जा सकता ।

25. आर0टी0ओ0 भिण्ड से आहुत कराये गये साक्षी गोविन्दसिंह चौहान अनावेदक साक्षी क्र0-2 ने उक्त वाहन के संबंध में यह कहा है कि, दिनांक 12/11/09 को कोई फिटनेस प्रमाणपत्र उक्त वाहन का नहीं था उसने प्र0डी0-2 के फिटनेस पर्तिकूलर पर लगाई गई टीप उक्त उपयोगिता प्रमाणपत्र वाहन क्रमांक एम0पी0-30 एच-0253 कार्यालय अभिलेख अनुसार जारी नहीं है बावत अना0सा0-2 का यह कहना रहा है कि, उक्त टीप उसके द्वारा नहीं लगाई गई है, यदि दिनांक 12/11/09 के पूर्व फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया गया है तो उसे जानकारी नहीं है। इस तरह से प्र0डी0-3 पर उक्त लगाई गई टीप किसके द्वारा लगाई गई इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसे में फिटनेस प्रमाणपत्र के संबंध में अनावेदक क्र0-3 द्वारा ली गई आपत्ति को विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्र0डी0-2 का यदि अवलोकन करे तो उसमें प्र0डी0-1 की बीमा पॉलिसी में जिस वाहन का बीमा किया गया उसका इंजन और चैसिस नंबर सत्यापित होता है तथा फिटनेस प्रमाणपत्र दिनांक 17/9/10 को समाप्त होने का भी उल्लेख है और उसमें दिनांक 18/9/09 को नवीनीकरण किये जाने की दिनांक लिखी हुई है। फिटनेस की अवधि 18/9/09 से 17/9/10 तक अंकित है, और दुर्घटना दिनांक 12/11/09 की होना मानी गई है।

26. ऐसे में टीप के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि दुर्घटनाकारी वाहन जिसका दुर्घटना दिनांक को चालक अनावेदक क्र0-1 और वाहन स्वामी अनावेदक क्र0-2 था वह वगैर फिटनेस प्रमाणपत्र के चलाया जा रहा था, क्योंकि जो फिटनेस प्रमाणपत्र बताया गया है वह भी आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड के कार्यालय का ही बताया गया है, और जिस अभिलेख के आधार पर अनावेदक क्र0-3 की इस संबंध में आपत्ति आई है उसके बावत अना0सा0-2 ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि फिटनेस प्रमाणपत्र दिनांक 12/11/09 अर्थात् दुर्घटना दिनांक के पहले जारी किया गया हो तो उसे जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावेदक क्र0-3 की आपत्ति में विधिक बल नहीं पाया जाता है, तथा अनावेदक क्र0-3 की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत चंद्रेश कुमार अग्रवाल वि0 योगेश कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य 2005 भाग-2 डी0एम0पी0 193 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 103/11 मिसलेनियस अपील (सी) आदेश दिनांक 21/2/12 का कोई लाभ अनावेदक क्र0-3 को प्राप्त नहीं हो सकता, जिसमें फिटनेस और परमिट के बिना लोकमार्ग पर वाहन के संचालन की दशा में दुर्घटना घटित होने पर बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराने का मार्गदर्शन दिया है।

27. दुर्घटनाकारी वाहन के अन्य दस्तावेज के संबंध में कोई

आपत्ति नहीं आई है ऐसे में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है ।

28. फलतः वाद प्रश्न क्र०-3 का निराकरण करते हुये उसे अप्रमाणित ठहराया जाता है।

—:—वाद प्रश्न क्र०-4 एवं 5 दोनों क्लेम प्रकरणों के वाद प्रश्न क्र०-4 एवं 5 का निराकरण एवं विश्लेषण

29. उक्त दोनों वाद प्रश्न सहायता संबंधी होने से एक साथ निराकरण किया जा रहा है । क्लेम याचिका क्रमांक 32/14 के माध्यम से श्रीमती बेबी शर्मा ने स्वयं को पशुपालन करके 80/— रुपये प्रतिदिन के हिसाब से धनोपार्जन करना बताते हुये वार्षिक आय 28800/— रुपये बताई है, जो वह दुर्घटना के वाद नहीं कर पा रही है तथा उसने दुर्घटना से आई निशक्त और क्षति के कारण इलाज व ऑपरेशन में 13614/— रुपये आवेदन दिनांक तक खर्च हो जाना तथा आगे भी निरन्तर इलाज जारी रहना बताया है, और उपचार के दौरान अटेन्डर रखना और उस पर 7500/— रुपये खर्च करना तथा पूर्ण विश्राम 6 माह तक करने के आधार पर 14000/— रुपये की क्षति विशेष आहार पर 15,000/— रुपये की क्षति और स्थाई अपंगता के लिये 5 लाख रुपये की क्षति बताते हुये कुल 5,80, 114/— रुपये और उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की है, जिसके संबंध में उपर विश्लेषण मुताबिक स्थाई निशक्तता प्रमाणित नहीं हुई है तथा इलाज पर हुये खर्च के संबंध में जो दस्तावेज पेश किये गये हैं जिसमें प्र०पी०-9 के डिस्चार्ज टिकिट मुताबिक बेबी शर्मा दुर्घटना दिनांक 12/11/09 से 17/11/09 तक भर्ती रही है दूसरी बार में दिनांक 7/2/10 से 23/3/10 तक भर्ती रहना प्र०पी०-10 से स्पष्ट होता है जिससे यह भी स्पष्ट है कि दुर्घटना के वाद से उसका करीब 5 माह इलाज चला है ।

30. इलाज में हुये खर्च के जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनमें प्र०पी०-11, 12, 13, प्र०पी०-17, 37, प्र०पी०-38, 40, 48 और प्र०पी०-50 के बिल पेश किये गये हैं, जिनका योग 4754/— रुपये बनता है शेष जो पर्चिया एस्टीमेट पेश हुये हैं उनमें ना तो बेबी शर्मा का नाम है और ना ही वे बिल के रूप में है इसलिये उन दस्तावेजों में अंकित राशि आवेदिका बेबी शर्मा पाने की पात्र नहीं है । अटेन्डर के रूप में किसे रखा और 7500/— किस तरह से खर्च किये इसका कोई प्रमाण अवश्य पेश नहीं है किन्तु उसका जो उपचार चला है उस दौरान उसे अपने गृह निवास जो कि ग्राम तिलौरी थाना मालनपुर के अंतर्गत आता है वहां से ग्वालियर जाकर इलाज कराना और भर्ती रहना पडा है । भर्ती रहने के दौरान तथा उपचार के लिये साथ आने जाने के समय एक सहायक की आवश्यकता रही होगी यह उपधारित किया जा सकता है, तथा उपचार के दौरान दवाईयों के अलावा विशेष आहार भी लेना पडा होगा, इसका भी

न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है इसलिये आवागमन, विशेष आहार और अटेन्डर के मद में उसे 10,000/- रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित होगा तथा अस्थिभंजन से हुई शारीरिक एवं मानसिक पीडा के लिये 15,000/- अस्थिभंजन को देखते हुये अनावेदकगण से दिलाई जाना उचित व न्याय संगत है । इस प्रकार आवेदिका बेबी शर्मा अनावेदकगण से संयुक्तः व प्रथकतः कुल **29754/-** रुपये पाने की अधिकारी है ।

31. जहां तक आवेदक रामकुमार का प्रश्न है उसने मजदूरी से धनोपार्जन करना बताते हुये वार्षिक आय 48,000/- रुपये बताते हुये 14513/- रुपये व्यय करना और आगे भी इलाजरत रहना बताया है, तथा उसने भी उपचार के दौरान बेडरेस्ट 6 माह तक करना और उससे 27150/- रुपये की हानि अटेन्डर के लिये 3150/- रुपये खर्च करना विशेष आहार पर 15,000/- रुपये खर्च करना तथा दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आजीवन अशक्तता के लिये 5 लाख रुपये इलाज के लिये आने जाने में 2187/- रुपये शारीरिक मानसिक पीडा के लिये 28000/- रुपये कुल 6, 15, 000/- रुपये क्षतिपूर्ति व उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दुघटना दिनांक से चाहा गया है उसी अनुरूप मौखिक साक्ष्य भी दी गई है जिसके बारे में अनावेदक क०-3 बीमा कंपनी की ओर से विरोध किया गया है ।

32. अभिलेख पर जो दस्तावेजी साक्ष्य उपचार में खर्च पर की गई राशि के संबंध में पेश किया है उनमें प्र०पी०-9 डिस्चार्ज टिकिट मुताबिक दिनांक 12/11/09 से 3/12/09 तक वह भर्ती रहा है तथा प्र०पी०-7 की एक्सरे रिपोर्ट मुताबिक उसके दांये हाथ की हयमूरस नामक हड्डी में अस्थिभंजन पाया गया है । प्र०पी०-10 और प्र०पी०-11 बाह्य रोग विभाग के 5-5 रुपये के पर्चे हैं तथा इसके अलावा प्र०पी०-12 लगायत प्र०पी०-16 प्र०पी०-19 लगायत प्र०पी०-21, प्र०पी०-24, प्र०पी०-26, प्र०पी०-31 एवं प्र०पी०-34 की व्यय की गई राशि के बिल है, इनके अलावा प्र०पी०-17, प्र०पी०-22, प्र०पी०-23, प्र०पी०-25, प्र०पी०-27, प्र०पी०-30, प्र०पी०-32, प्र०पी०-33, प्र०पी०-35 से प्र०पी०-50 के जो दस्तावेज है वे कच्ची पर्ची और एस्टीमेट है जिनमें आहत के नाम तक का उल्लेख नहीं है इसलिये उनकी राशि खर्चों में नहीं जोड़ी जा सकती और उक्त राशि के एस्टीमेट और पर्चे ग्राह्य किये जाने योग्य बिलों की राशि 6487/- रुपये बनती है, इसके अलावा उसके द्वारा अटेन्डर के रूप में जो राशि खर्च करना बताई है उसका कोई प्रमाण नहीं है किन्तु उसके उपचार अवधि को देखते हुये आवागमन, विशेष आहार तथा अटेन्डर के मद में 10,000/- रुपये तथा चोटों के कारण हुई शारीरिक व मानसिक पीडा व उपचार अवधि में धनोपार्जन की छति के मद में 10,000/- रुपये इस प्रकार कुल **26487/-** रुपये आवेदक रामकुमार शर्मा अनावेदकगण से संयुक्तः एवं प्रथकतः पाने

का अधिकारी है ।

33. अनावेदक क्र०-3 की और से अंतिम तर्कों में यह बिन्दु उठाया गया है कि यदि न्यायालय दुर्घटना मानता है तो दोनों वाहनों के मध्य दुर्घटना घटित होने से दोनों वाहन समान रूप से उत्तरदाई मानना उचित होगा । यह तर्क इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकरण में अंशदाई उपेक्षा का बिन्दु अन्तरवर्तित नहीं है, तथा प्र०पी०-1 लगायत प्र०पी०-8 के जो पंजीबद्ध अपराध से संबंधित दस्तावेज पेश किये गये हैं उनके अवलोकन से भी जिस बस क्रमांक एम०पी०-07 पी-0403 में आवेदकगण बैठकर जा रहे थे उसकी कोई उपेक्षा नहीं बताई गई है, और बीमा कंपनी की और से फिटनेस प्रमाणपत्र के अलावा अंशदाई उपेक्षा का आधार अभिवचनों व साक्ष्य में नहीं लिया गया है, इसलिये प्रकरण में पे एण्ड रिकवर का फार्मूला भी लागू किये जाने योग्य नहीं है, तथा अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जो न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेन्स कं०लि० विरुद्ध पर्वथनैनी एवं अन्य (2009) वोल्यूम 8 एस०सी०सी० 785 एवं रामजीलाल वि० परमचंद्र गुप्ता 2011(1) ए०सी०सी०डी० 479 (एम०पी०) के न्याय दृष्टांत लागू किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वाहन चालक की चालक अनुज्ञप्ति जाली या कूटरचित होने का बिन्दु प्रकरण में नहीं है, ना ही बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना गया है, ऐसे में अनावेदकगण से संयुक्तः व प्रथमतः क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदाई होना अभिनिर्धारित किया जाता है । तदनुसार उक्त वाद प्रश्नों का निराकरण किया जाता है ।

34. इस प्रकार से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत क्लेम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित होने से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये आवेदकगण के पक्ष में अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है ।

- (अ)– आवेदिका श्रीमती बेबी शर्मा अनावेदकगण से संयुक्तः एवं प्रथमतः 29754/- रुपये एवं उस पर आवेदन दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पाने की अधिकारी है तथा आवेदक रामकुमार शर्मा अनावेदकगण से संयुक्तः एवं प्रथमतः 26487/-रुपये एवं उस पर आवेदन दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पाने का अधिकारी है जो अदायगी ना होने पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत वसूलने के अधिकारी होंगे ।
- (ब) अनावेदकगण आवेदकगण का प्रकरण व्यय भी संयुक्तः व प्रथमतः वहन करेंगे, जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो जोड़ा जाये ।
- (स) अधिनिर्णय की प्रति पक्षकारों को निशुल्क प्रदान की जाये ।

35. तदनुसार अवार्ड पारित किया जाता है । व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक: 28 अक्टूबर 2014

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड